रजिस्टर्ड नं० एल० ३८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार 19 अगस्त, 1972
श्रावण 29, 1894 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग

संख्या 2891/सत्रह-वि०—98-72
दिनांक लखनऊ, 19 अगस्त, 1972

विज्ञप्ति

विधि

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पर दिनांक 17 अगस्त, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972)

(जैसा की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय;

(ख) "बेसिक शिक्षा" का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद "बेसिक स्कूल" का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा;

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" का तात्पर्य क्रमशः बेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;

(ङ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला परिषद्, अंतरिम जिला परिषद् नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी, जैसी भी दशा हो, से है।

परिषद् का संघटन

3—(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायगी।

(2) परिषद् शास्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हों, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से, यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेन्टों में से, यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन;

(छ) दो शिक्षाविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ज) एक अधिकारी जिसका पद उप निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और जो सदस्य-सचिव होगा।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारी को जिसका पद राज्य सरकार के उप सचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति-आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं मानों कोई रिक्ति न हुई हो।

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य न समझी जायगी।

परिषद् के कृत्य

4—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक-प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना, तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली से परस्पर संबद्ध करना, होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को, विशेषतया, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:—

(क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए संशिक्षण-क्रम तथा पुस्तकें विहित करना;

(ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करे और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(ग) शिक्षण देने तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये परीक्षार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से, संस्थाओं को ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलम्बित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण रखना;

(घ) बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियन्त्रण रखना;

(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार तथा सुधार एवं उसमें अनुसंधान हेतु योजनाएं तैयार करना;

(च) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना;

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना;

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो।

परिषद् का कार्य संचालन

5—(1) परिषद् और धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा धारा 11 में अभिदिष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदर्थ बनाये।

(2) विशेषतया, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्त्तव्य;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या किसी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ङ) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये विनियम में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है।

परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

6—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

(2) ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

(3) किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती के नियमों में, ऐसी चयन समिति संघटित की जाने की व्यवस्था होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा संबद्ध स्थानीय निकाय का एक प्रतिनिधि और निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राजकीय इंटरमीडिएट कालेज का प्रिंसिपल अन्य सदस्य होंगे और निदेशक के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर आनुशासनिक नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था होगी।

परिषद् की निधि

7—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

8--(1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, वार्षिक लेखा विवरण-पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

9--(1) नियत दिनांक को और से केवल बेसिक स्कूलों के संबंध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारिवर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निबंन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे धारण करते यदि परिषद् संघटित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि परिषद् द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबंन्धनों एवं शर्तों में यथाविधि परिवर्तन न कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गयी कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी सेवा समझी जायगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिए जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार संपादन करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी जो नियत दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार को तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिए अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कोई कर्मचारी ऐसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उस की सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा जो निम्नलिखित होगा:--

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में, उस के तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो; के लिए वेतन (जिस के अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक माह की अवधि या उस की सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से जिस में वह नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बंधनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायगा।

(4) यदि इसके सम्बन्ध में कि किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबंन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कर्मचारियों के लिए किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य-निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित जिसे नियत दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिये था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए न्यास के रूप में रखेगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् में स्थानान्तरित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

जिला बेसिक शिक्षा समितियां

10—(1) प्रत्येक जिले के लिए एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिस में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो अध्यक्ष होंगे ;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् या अन्तरिम जिला परिषद् के, यदि कोई हों, सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) तीन व्यक्ति जो जिले में स्थित नगर महापालिकाओं, नगरपालिका बोर्डों, नोटिफाइड एरिया कमेटियों तथा टाउन एरिया कमेटियों के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(घ) एक व्यक्ति जो निदेशक द्वारा जिले में, निम्नांकित में प्रत्येक से, अर्थात :—

(1) लड़कों के इन्टरमीडियेट कालेजों के, प्रिंसिपलों में से,

(2) लड़कियों के इन्टरमीडियेट कालेजों के, प्रिंसिपलों में से,

(3) लड़कों के राजकीय नार्मल स्कूलों के, प्रधानाध्यापकों में से, और

(4) लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूलों की, प्रधानाध्यापिकाओं में से,

नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(ङ) तीन से अनधिक अन्य शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(च) विद्यालय उप निरीक्षक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यगण ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

(3) परिषद् समिति से ऐसे विषयों पर परामर्श करेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और उससे किसी अन्य विषय पर भी परामर्श कर सकती है ।

गांव शिक्षा समितियां

11—(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन गांव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) गांव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा,

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी) जो विद्यालय अवर उप निरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ग) उस गांव या गांव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक, और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम, जो उसका सदस्य-सचिव होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति—

(क) बेसिक स्कूल के भवनों और उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए यथास्थिति, जिला परिषद् अथवा अन्तरिम जिला परिषद् को सुझाव देगी ; और

(ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय पालन किये जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी ।

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

12—(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल (चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय का हो) और बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है ।

(2) निदेशक—

(क) किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को (जिसके अन्तर्गत कोई स्थानीय निकाय भी है) निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, या

(ख) किसी स्थानीय निकाय को बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अपने कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, निर्देश दे सकता है ।

(3) यदि किसी बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्—

(क) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में जो स्थानीय निकाय का न हो, ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है, या

(ख) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में, जो स्थानीय निकाय का हो, परिषद् को उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध म उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सिफ़ारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।

(5) यदि किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्कूल के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं हो रहा है अथवा उस स्थानीय निकाय ने जिसका स्कूल हो उसके सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में जानबूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है, तो परिषद् आदेश द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, स्थानीय निकाय को अपवर्जित करके, स्कूल का प्रबन्ध, जिस के अन्तर्गत स्कूल की भूमि, भवन, निधियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं, अपने हाथ में लेने का निदेश दे सकती है, और तदुपरान्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो परिषद् द्वारा आरोपित किये जायं, स्कूल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार उपलब्ध होंगे जो स्थानीय निकाय को उपलब्ध होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(6) यदि स्थानीय निकाय उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् मामला परिषद् को उपधारा (7) के अधीन कार्यवाही करने के लिए अभिदिष्ट कर सकता है।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन कोई सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्थानीय निकाय ने बेसिक शिक्षा के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जान-बूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है अथवा बेसिक शिक्षा के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से प्राप्त किसी अनुदान का दुरुपयोग किया है अथवा उसे व्यावर्तित किया है, तो परिषद् मामला राज्य सरकार को उपधारा (8) के अधीन कार्यवाही के लिए अभिदिष्ट कर सकती है।

(8) राज्य सरकार उपधारा (7) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय की शक्ति तथा कृत्य, ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, परिषद् को अन्तरित हो जायगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन किसी अधिसूचना में, उसके प्रवर्तन की अवधि में, ऐसी विधि के जिससे स्थानीय निकाय संबंधित हो, अनुकूलन के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकते हैं जो उपधारा (8) में अभिदिष्ट निदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध भी हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

13--(1) परिषद् ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के संबंध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा संपादित किये जाने के संबंध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच, अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा, यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिसकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करे।

प्रत्यायोजन की शक्ति

14--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई शक्ति ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या ऐसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

15--राज्य सरकार या परिषद्, अथवा उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये, या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य क संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

16—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसरानुकूल, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसी अधिनियमिति के जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों का संशोधन

18—(1) नियत दिनांक से, उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जायेंगी।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में, धारा 43 में, उपधारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें, और उपधारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाये और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "यथास्थिति, शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चुनाव समिति" रख दिये जायें।

(3) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में—

(क) धारा 68 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(1) बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले से कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।";

(ख) धारा 73 निकाल दी जाय;

(ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब-ओवरसियर अथवा सचिव नियुक्त करना।"

नियम बनाने की शक्ति

19—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, और विशेषतया, किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीन दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन

20—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

No. 2891 (2) /XVII-V–98-72

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 1972 :

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION ACT, 1972

(U. P. Act No. 34 of 1972)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the establishment of a Board of Basic Education and for matters connected therewith

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(*a*) "appointed day" means the date on which the Board is established ;

(*b*) "basic education" means education up to the eighth class imparted in schools other than high schools or intermediate colleges, and the expression "basic schools" shall be construed accordingly ;

(*c*) "Board" means the Uttar Pradesh Board of Basic Education constituted under section 3 ;

(*d*) "Director" and "District Basic Education Officers" means officers appointed by the State Government as the Director of Basic Education, Uttar Pradesh and District Basic Education Officers respectively ;

(*e*) "local body" means the Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, or Notified Area Committee, as the case may be.

Constitution of the Board

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the *Gazette* appoint, there shall be established a Board to be known as the Uttar Pradesh Board of Basic Education.

(2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and to hold property and may by its name sue and be sued.

(3) The Board shall consist of the following members, namely—

(*a*) the Director, *ex officio*, who shall be the Chairman ;

(*b*) two persons to be nominated by the State Government from amongst the Adhyakshas, if any, of Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 ;

(*c*) one person to be nominated by the State Government from amongst the Nagar Pramukhs, if any, of the Mahapalikas constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 ;

(*d*) one person to be nominated by the State Government from amongst the Presidents, if any, of the Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916;

(*e*) the Secretary to the State Government in the Finance Department, *ex officio*;

(*f*) the Principal, State Institute of Education, *ex officio*;

(*g*) two educationists to be nominated by the State Government;

(*h*) an officer not below the rank of Deputy Director of Education, to be nominated by the State Government, who shall be the Member-Secretary.

(4) An officer referred to in clause (*e*) of sub-section (3) may instead of attending a meeting of the Board himself depute an officer of his department not below the rank of Deputy Secretary to the State Government to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.

(5) The members of the Board other than *ex officio* members shall ordinarily be entitled to hold office for the period specified in the order of appointment, unless the appointment is terminated earlier by the State Government:

Provided that any member, other than an *ex officio* member, may at any time by notice in writing addressed to the State Government resign his office.

(6) During any vacancy in the membership of the Board the continuing members may act as if no vacancy had occurred.

(7) No act or proceeding of the Board shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.

Function of the Board.

4. (1) Subject to the provisions of this Act it shall be the function of the Board to organise, co-ordinate and control the imparting of basic education and teachers' training therefor in the State, to raise its standards and to correlate it with the system of education as a whole in the State.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Board shall, in particular, have power—

(*a*) to prescribe the courses of instruction and books for basic education and teachers' training therefor;

(*b*) to conduct the junior high school and basic training certificate examinations and such other examinations as the State Government may from time to time by general or special order assign to it and to grant diplomas or certificates to candidates successful at such examinations:

(*c*) to recognise, subject to such conditions as it thinks fit to impose, institutions for the purpose of imparting instruction and preparing candidates for admission to examination conducted by the Board, and to withdraw or suspend such recognition and to inspect and exercise superintendence over such institutions;

(*d*) to exercise supervision and control over basic schools, normal schools, basic training certificate units and the State Institute of Education;

(*e*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of and research in basic education in any district or in the State or in any part thereof;

(*f*) to acquire, hold and dispose of any property, whether movable, or immovable and in particular, to accept gift of any building or equipment of any basic school or normal school on such conditions as it thinks fit;

(*g*) to receive grants, subventions and loans from the State Government;

(*h*) to take all such steps as may be necessary or convenient for, or may be incidental to, the exercise of any power, or the discharge of any function or duty conferred or imposed on it by this Act.

Conduct of business of the Board.

5. (1) The business of the Board and of each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and Gaon Shiksha Samiti referred to in section 11 shall be conducted in accordance with such regulations as the Board may, with the previous approval of the State Government, make in that behalf.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :—

(*a*) the summoning and holding of meetings of the Board or of any Samiti referred to in sub-section (1), the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum thereat ;

(*b*) the powers and duties of the Chairman and of the Secretary and other officers of the Board ;

(*c*) the salaries, allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board ;

(*d*) the procedure for carrying out the functions of the Board or of any Samiti as aforesaid under this Act ;

(*e*) the management of the schools and other institutions held by or under the control of the Board.

(3) Until any regulation is made by the Board under sub-section (1), any regulation which may be made under that sub-section may be made by the State Government, and any regulation so made may be altered or rescinded by the Board in exercise of its powers under sub-section (1).

Officers and other employees of the Board.

6. (1) For the purpose of enabling it efficiently to discharge its functions under this Act the Board may appoint such number of officers, teachers and other employees as it may, with the previous approval of the State Government think fit.

(2) The recruitment and the conditions of service of persons appointed to such posts shall be regulated by rules made by the State Government in that behalf.

(3) The rules for the recruitment of teachers of basic schools belonging to a local body shall provide for the constitution of a selection committee which shall consist of the District Basic Education Officer as Chairman and a representative of the local body concerned and a Principal of a Government Intermediate College nominated by the Director as other members, and also for the exercise of disciplinary control over them by the District Basic Education Officer, subject to the superintendence of the Director.

Fund of the Board.

7. (1) The Board shall have its own fund, and all receipts of the Board shall be carried thereto and all payments for the Board shall be made therefrom.

(2) Subject to any general or special order of the State Government, the Board shall have the power, subject to the provisions of this Act, to spend such sum as it may think fit on objects or for purposes authorised by this Act.

Account and Audits.

8. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as the State Government may by general or special order specify.

(2) The Board shall prepare an annual financial statement (budget) and submit it to the State Government for its approval.

(3) The accounts of the Board shall be audited by such authority as the State Government may by general or special order specify.

(4) The accounts of the Board as certified by the audit authority together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government.

Transfer of employees.

9. (1) On and from the appointed day every teacher, officer and other employees serving under a local body exclusively in connection with basic schools (including any supervisory or inspecting staff) immediately before the said day shall be transferred to and become a teacher, officer or other employee of the Board and shall hold office by the same tenure, at the same remuneration and upon the same other terms and conditions of service as he would have held the same if the Board had not been constituted and shall continue to do so unless and until such tenure, remuneration and other terms and conditions are duly altered by the Board :

Provided that any service rendered under the local body by any such teacher, officer or other employee before the appointed day shall be deemed to be service rendered under the Board :

Provided further that the Board may employ any such teacher, officer or other employee in the discharge of such functions under this Act as it may think proper and every such teacher, officer or other employee shall discharge those functions accordingly.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to any teacher, officer or other employee, who by notice in writing in that behalf to the State Government within a period of two months from the appointed day intimates his option for not becoming an employee of the Board, and where any employee gives such notice, his service under the local body shall stand determined with effect from the appointed day and he shall be entitled to compensation from the local body, which shall be as follows :—

(*a*) in the case of a permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less ;

(*b*) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for one month or for the remaining period of his service, whichever is less.

(3) Notwithstanding anything in sub-section (1), any person referred to therein, who becomes an employee of the Board shall be liable to be transferred from the school or from the local area in which he was employed immediately before the appointed day to any other school or institution belonging to Board or, as the case may be, to any other local area at the same remuneration and on the same other terms and conditions of service as governed him immediately before such transfer :

Provided that no teacher of a basic school belonging to a local body shall be transferred to a basic school belonging to any other local body except with his consent.

(4) If any question arises whether the services of any person stand transferred to the Board under sub-section (1) or as to the remuneration and other terms and conditions of service of such employee immediately before the appointed day, it shall be decided by the State Government whose decision shall be final.

(5) Any provident fund maintained by any local body for the employees referred to in sub-section (1), alongwith all contributions of such employees as well as of the local body which ought to have been but have not been deposited therein before the appointed day, shall be transferred by the local body to the Board, which shall hold it in trust for the employees concerned in accordance with the terms and conditions governing such fund.

(6) The transfer of services of any employee to the Board under sub-section (1) shall not entitle any such employee to any compensation and no such claim shall be entertained by any Court, tribunal or authority.

Zila Basic Shiksha Samiti.

10. (1) For each district, there shall be established a Committee to be known as Zila Basic Shiksha Samiti, which shall consist of the following members, namely—

(*a*) the District Basic Education Officer, who shall be the Chairman ;

(*b*) three persons to be nominated by the State Government from amongst the members of the Zila Parishad or Antarim Zila Parishad, if any ;

(*c*) three persons to be nominated by the State Government from amongst the members of the Nagare Mahapalikas, Municipal Boards, Notified Area Committees and Town Area Committee situate within the district ;

(*d*) one person to be nominated by the Director from each of the following in the district, namely :—

(i) the Principals of Intermediate Colleges for boys ;

(ii) the Principals of Intermediate Colleges for girls ;

(iii) the Head Masters of Government Normal Schools for Boys ; and

(iv) the Head Mistresses of Government Normal Schools for Girls.

(*e*) not more than three other educationists to be nominated by the State Government ;

(*f*) the Deputy Inspector of Schools, who shall be the member-Secretary of the Committee.

(2) The members of the Committee, other than *ex officio* members, shall hold office on such terms and conditions as the State Government may, by general or special order direct.

(3) The Board shall consult the Committee on such matters as the State Government may, by general or special order direct, and may also consult it on any other matter.

Gaon Shiksha Samiti.

11. (1) For each village or group of villages for which a Gaon Sabha is established under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a Committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely—

(*a*) the Pradhan of the Gaon Sabha, who shall be the Chairman ;

(*b*) three guardians of students of Basic Schools (of whom one guardian must be a woman) to be nominated by the Sub-Deputy Inspector of Schools ;

(*c*) the head master of the basic school in that village or group of villages, and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be member-Secretary thereof.

(2) Subject to the provisions of this Act the Committee shall—

(*a*) make suggestions to the Zila Parishad, or Antarim Zila Parishad, as the case may be, for the improvement of basic school buildings and the equipment thereof, and

(*b*) inspect and make report to the District Basic Education Officer about the punctuality and attendance of the teachers of such schools.

Control over Basic Schools.

12. (1) The Director may, from time to time, inspect or cause to be inspected any basic school (whether belonging to a local body or to any other person or body), and also the records and proceedings of the local body concerning or connected with the discharge of the functions of the local body in respect of basic education.

(2) The Director may direct—

(*a*) the management (including a local body) to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise ; or

(*b*) a local body to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise in respect of the discharge of its functions in relation to basic education.

(3) If the management of a basic school fails to comply with any direction made under clause (*a*) of sub-section (2), the Director may, after considering the explanation or representation, if any, given or made by the management—

(*a*) in the case of a basic school not belonging to a local body, refer the case to the Board for withdrawal of recognition of such school ; or

(*b*) in the case of a basic school belonging to a local body, recommend to the Board to proceed to take action under sub-section (5).

(4) On receipt of a recommendation under clause (*a*) of sub-section (3) in respect of any basic school, the Board may withdraw the recognition of that school.

(5) If on receipt of a recommendation under clause (*b*) of sub-section (3) in respect of any basic school, the Board is satisfied that the affairs of the school are being mismanaged or that the local body to which the school belongs has wilfully or persistently failed in the performance of its duties in respect thereof, the Board may by order direct the District Basic Education Officer to take over for such period not exceeding five years as may be specified in the order, the management of the school, including management of the land, buildings, funds and other assets pertaining to the school to the exclusion of the local body, and thereupon, the District Basic Education Officer, shall, subject only to such restrictions as the Board may impose, have in relation to the management of the school all such powers and authority as the local body would have, if no order were passed under this sub-section.

(6) If a local body fails to comply with any direction made under clause (*b*) of sub-section (2), the Director may after considering the explanation or representation, if any, given or made by it, refer the case to the Board for action under sub-section (7).

(7) If on receipt of a recommendation under sub-section (6), the Board is satisfied that the local body has wilfully or persistently failed in the performance of its duties in relation to basic education or has mis-utilised or diverted any grant received from the State Government for purposes of basic education, the Board may refer the case to the State Government for action under sub-section (8).

(8) The State Government on receipt of a recommendation under sub-section (7) may by notification in the *Gazette* direct that, for such period not exceeding five years as may be specified in the notification, the powers and functions of the local body in relation to basic education shall, with effect from such date as may be specified, stand transferred to the Board.

(9) Any notification under sub-section (8) may contain such provisions for adaptation, for the duration of the period of its operation, of the law by which the local body is constituted, as may be necessary to give effect to the direction referred to in sub-section (8), and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as the State Government may deem necessary.

Control by the State Government.

13. (1) The Board shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act.

(2) If in, or in connection with, the exercise of any of its powers and discharge of any of the functions by the Board under this Act, any dispute arises between the Board and the State Government, or between the Board and any local body, the decision of the State Government on such dispute shall be final and binding on the Board or the local body, as the case may be.

(3) The Board or any local body shall furnish to the State Government such reports, returns and other information, as the State Government may from time to time require for the purposes of this Act.

Power to delegate.

14. (1) The State Government may delegate any of its powers under this Act to the Director or to any other officer or authority subordinate to it subject to such conditions, if any, as may be specified.

(2) The Board may by general or special order direct that any power exercisable by it under this Act, except the power to make regulations may also be exercised by its Chairman or by such Committee or officer, in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

Protection of acts done in good faith.

15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Board or any of its Committees or any member of the Board or of a Committee or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any order or direction made thereunder.

Bar of jurisdiction of Court.

16. No order or decision made by the Board or any of its Committees in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

Power to remove difficulties.

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or by reason of anything contained in this Act the State Government may, as occasion requires, by notification in the *Gazette*, make such incidental or consequental provisions, including provisions for adapting or modifying any provisions of this Act or of any enactment by or under which any local body is constituted but not affecting the substance as it may think necessary or expedient for the purposes of this Act.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of one year from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature.

Amendment of Acts relating to Local Bodies.

18. (1) With effect from the appointed day the enactments mentioned in sub-sections (2) and (3) shall stand amended as specified in the said sub-sections.

(2) In the U. P. Kshettra Samitis and Zila Parishad Adhiniyam, 1961, in section 43, in sub-section (2), *for* the words "teachers and any other" the words "such other" shall be *substituted* and in sub-section (3), clause (*a*) shall be *omitted*, and in the proviso thereto, *for* the words "the Shiksha Chunao Samiti or Chunao Samitis, as the case may be" the words "the Chunao Samiti" shall be *substituted*.

(3) In the U. P. Municipalities Act, 1916—

(*a*) in section 68, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) A board may, and if so required by the State Government shall, by special resolution, appoint the principal officers of its technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Waterworks Engineer, Assistant Waterworks Engineer, Electrical and Waterworks Engineer, Assistant Electrical and Waterworks Engineer or Overseer and also Secretary where there is already an Executive Officer.

(*b*) Section 73 shall be *omitted*.

(*c*) in Schedule I *for* the entry in Column (2) relating to section 68 the following entry shall be *substituted*, namely :—

"To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Waterworks Engineer, Assistant Waterworks Engineer, Electrical and Waterworks Engineer, Assistant Electrical and Waterworks Engineer, qualified Overseer or Sub-Overseer, Secretary."

Power to make Rules.

19. (1) The State Government may by notification in the *Gazette* make rules for carrying out the purposes of this Act, and in particular for the regulation of the recruitment and conditions of service of persons appointed as teachers of basic schools belonging to any local body.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period, agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal of U. P. Ordinance no. 14 of 1972.

20. The Uttar Pradesh Basic Education Ordinance, 1972 is hereby repealed.

आज्ञा से,

के० एन० गोयल,

विशेष सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 199 गजट (हि०)—1972—1,967+130 (मे०)